

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- ०९ / 01 / 2026

सं०सं०-14 / पद०-701 / 2026- 624 / सा०प्र०, बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर, अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर, उप सचिव एवं समकक्ष स्तर तथा मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को धारित पद से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री शैलेश कुमार दास, 225 / 24, झारखंड	अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, नालंदा।	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गया।
2.	श्री किसलय श्रीवास्तव, 574 / 24, उत्तर प्रदेश	अनुमण्डल पदाधिकारी, गया सदर, गया।	अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा।
3.	श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता, 623 / 24, सीतामढ़ी	अनुमण्डल पदाधिकारी, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण।	अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर, नालंदा।
4.	श्री अभिजीत कुमार गोविन्दा, 612 / 24, मुजफ्फरपुर।	विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।	अनुमण्डल पदाधिकारी, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण।
5.	श्री कुमार ओमकेश्वर 556 / 24, रोहतास।	विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना।
6.	श्री राजीव रंजन कुमार सिन्हा, 464 / 24, पटना	उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, नालंदा।
7.	श्री अनिल कुमार रमण, 440 / 24, मधुबनी	अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई।	अनुमण्डल पदाधिकारी, गया सदर, गया।
8.	श्री आशीष नारायण, 334 / 24, मुजफ्फरपुर	अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर, नालंदा।	विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।

अभिजीत 2026

9.	श्री संजय कुमार निराला, 198/24, मुंगेर	उप विकास आयुक्त-सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सहरसा।	सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
10.	सुश्री ज्योत्सना कृष्ण 947/24, पटना।	वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी।	विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
11.	श्री चंदन कुमार, 763/24, अरवल	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज, पटना।

2. अनुमण्डल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। साथ ही संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

3. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना अपने नव पदस्थापन वाले पद पर अविलंब योगदान/प्रभार ग्रहण करेंगे एवं इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. इस अधिसूचना से आच्छादित वैसे पदाधिकारी, जिनका अन्यत्र पदस्थापन नहीं हुआ है, वह सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/पद0-701/2026-सा0प्र0- 624 /पटना-15, दिनांक- 09/01/2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित आयोग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 12, 27 एवं 29, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।